

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

341

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञापि (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उन्नीक्ता/स्वामी का नाम : श्रीमती व्यक्त कुमारी
 पिता/पति का नाम : एच. ए. मान
 पता : डकुली रस्ता, जमशेदपुर
 परिसर की अवस्थिति :
 वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली-
 (1) वोल्टता : 400/440
 (2) कलाओं (फेजों) की संख्या : 3φ
 (3) ए०सी० / डी०सी० : A.C.
 वायरिंग का प्रयोजन- : (1111.05) 7.2017.22 काष्प वायु
 वायरिंग का प्रकार (बिटन, कन्ड्यूट इत्यादि)- : ओपन व अ-डर ग्रिड
 संस्थापना की विशिष्टियाँ :

विवरण	220/230 वोल्ट्स						440/400 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापना			
	फेज 1		फेज 2		फेज 3		संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता		
	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स						
I- (1) बलियों के प्वाइंट (2) पंखों के प्वाइंट (3) प्लग के प्वाइंट (4) मोटर/जनरेटर्स (पूर्व ब्यौरा दिया जाय)			Crompton Lineaus motor 67.5HP. Flight motor									

योग

Signature of the contractor

II- अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाए)

- (1)
- (2)

कुल संयोजित भार किलोवाट में- 06kva
 अधिकतम करंट मांग, एम्पियर में- 20amp
 (कुल संयोजित भार के आधार पर)

(2)

का रिसाव (विद्युत्तरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।)

ठेकेदार द्वारा विद्युत्तरोधी प्रतिरोधी का परिणाम -

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>फेज - 1 व अर्थ</u> | <u>फेज-2 व अर्थ</u> | <u>फेज-3 व अर्थ</u> |
| (i) फेज एवं अर्थ के बीच - | | | |
| (ii) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच - | | | |
| | <u>फेज - 1 व 2</u> | <u>फेज - 2 व 3</u> | <u>फेज - 3 व 1</u> |
| (3) तारों के मध्य- | | | |

नियम 29-

- (i) बताये कि वायरिंग का कार्य प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुरूप है। ✓
- (ii) बताये कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है। ✓
- (iii) बताये कि समस्त स्विच विद्युत्तमय (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये हैं। ✓

नियम 32-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है। जिससे कि ऐसे चालक की विद्युत्तमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सकें। ✓

(सत्यापन प्रमाण पत्र)

मैं/हम सृष्टी इंजीनियरिंग लाइसेन्स प्राप्त विद्युत्त ठेकेदार, लाइसेन्स संख्या RBL-179 निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं-

- (अ) कि पूर्वोक्त विद्युत्त संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है। ✓
- (ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत्तरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं। ✓
- (स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत्त नियम, 1955 एवं भारतीय मानक संस्थान को व्यवहार संहिता के प्राविधानों अनुरूप किया गया है। ✓
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है। ✓

वायरमैन का नाम संजय कुमार परमिट सं० 23299 वैधता की तिथि 01.09.23

हस्ताक्षर

वायरमैन का नाम बृजेश कुमार परमिट सं० 32792 वैधता की तिथि 12.04.23

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम राकेश सिंह प्रमाण पत्र संख्या- 12447

तिथि 13.01.23

हस्ताक्षर

..... का नाम एवं हस्ताक्षर


..... विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम **सृष्टि इंजीनियरिंग**

लाइसेंस संख्या . **ABL-179**

लाइसेंस की श्रेणी- **क श्रेणी**

वैधता का दिनांक- **31.03.2023**

M/s. Srashti Engineering
ठेकेदार के हस्ताक्षर


Proprietor


घोषणा

(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिवह लासेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत निगम, 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार से किया गया है।

मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता 200amp एम्पीयर से विद्युत परिवह लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर की जायेगी।

दिनांक 31/10/22


उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जाये)

विद्युतरोगी प्रतिरोगी का परिणाम -

फेज - 1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(1) फेज एवं अर्थ के बीच -

फेज - 1 व 2

फेज -2 व 3

फेज - 3 व 1

(3) तार के बीच-

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियाँ (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही:

1-

2-

3-

4-

दिनांक.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पदनाम

INDIAN ELECTRICITY RULES 1956
STATEMENT IN REGARD TO THE COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF RULES 35, 50, 51 & 61

The attention of the consumer is drawn to the mentioned above to regard to the supply of energy at medium pressure sanction to use energy at this pressure cannot be given unless all provision of the said rules have been complied with the consumer must submit this form in duplicate along with Treasury challan after replying and signing each of the following questions both himself and by the electrical contractor who has done the wiring work to to supplier's office for verification. If the installation is found in order it will be connected and the statement will be countersigned by the supplier and forwarded to the Electrical Inspector to Government Uttar pradesh for further verification.

QUESTION	REPLY	Owners Signature	Remarks of the Electrical Inspector	
(a) Have you affixed permanent by in a conspicuous position a caution notice in Hindi with the word सावधान on a Sheet of iron plate of not less that 12x9 inches size in red letters on a white back ground ? [Rule 35(a)i]	✓	धिलोहरा		
(b) Is a suitable linked switch or a circuit breaker or requisite capacity to carry and break the current placed in each conductors as near as possible after the point of commencement of supply ? [Rule 50(1)(a)(i)]	✓			
(c) Have you installed a suitable linked switch or circuit breaker requisite capacity in such a position at to by adjacent to and easily operated by the person in charge to cut of the supply from the motor or apparatus etc? [Rule 50(1)(d)]	✓		धिलोहरा	
(d) Are all conductors completely enclosed in a mechanically strong metal casing or metallic covering? [Rule 51(1)(a)]	✓			
(e) Has a clear space not less that 1 Meter in witch been provided in front of the switchboard. [Rule 51(i)(a)]	✓			
(f) If there are any Attachment arbor connection at the back of switchboard is the space behind to switchboard less than 20 cm or more than 75 cm in width ? [Rule 51(c)(ii)]	✓		धिलोहरा	
(g) If the space behind in the switchboard exceeds 75 cm width is there passage way clear to height of 1.8 meter? [Rule 51(1)(c)(iii)]	✓			
(h) Has the frame of your motor metallic parts or all transformers any other apparatus used for regulating or controlling the earth dy earth by two separate and distance connection with earth ? [Rule 51(2)]	✓		धिलोहरा	
(i) What is the earth resistance of the earth connection- (ii) licensees earth ? (iii) Consumer's earth ?	✓			
(2) Have you deposited the prescribed fee for the inspection by the Electrical Inspector under due head.	150/-			
0043- विद्युत पर कर और शुल्क 102- भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस				